संशोधन आदेश

संख्या- 205 /2016 / 2754 / चार-2016-24 (बजट)/2014

प्रेषक,

डा0 हरिओम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर , 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कैफी आजमी अकादमी को गैर वेतन अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 15.00 लाख को आयोजनेत्तर पक्ष के स्थान पर आयोजनागत पक्ष से वहन किये जाने के सम्बन्ध में संशोधन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-173/2016/2207/चार-2016-24(बजट)/2014 दिनांक 29 नवम्बर , 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-173/2016/2207/चार-2016-24(बजट)/2014 दिनांक 29 नवम्बर , 2016 के प्रस्तर-6 में टंकक त्रुटिवंश वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-05- कैफी आजमी अकादमी को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा, अंकित हो गया है, जिसे अब निम्नवत् पढा जाय:-

" वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनागत- 102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-05- कैफी आजमी अकादमी को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।"

3- उक्त शासनादेश संख्या-173/2016/2207/चार-2016-24(बजट)/2014 दिनांक 29 नवम्बर , 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 205 /2016 /2754 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- महासचिव , ऑल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, ई0डी0- 26 राजाजीपुरम् लखनऊ ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।